मध्य प्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

पत्र क्र: 02/20-21. भोपाल, दिनांक 22/4/2020

प्रति,

समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश.

विषयः— कोरोना महामारी के संदर्भ में भारत शासन द्वारा जारी निर्देश दिनांक 15.04.2020 के अनुपालन में उद्योगों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही विषयक।

---0---

कोरोना महामारी से निपटने के लिये भारत शासन द्वारा संपूर्ण देश में दिनांक 24.3.2020 से लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन के कारण पूरे देश में आवश्यक सेवाओं एवं उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है। अतः भारत शासन के गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना के संक्रमण के प्रभाव को ध्यान में रख कर देश में अत्यावश्यक सेवाओं की बहाली एवं सामान्यजन के दिन प्रतिदिन के उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये आदेश दिनांक 15.04.2020 से सभी राज्यों के लिये नवीनतम निर्देश जारी किये गए हैं, जो कि दिनॉक 20.04.2020 से प्रभावशील होंगे। आदेश की प्रति इस पत्र के साथ अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है।

2. इन निर्देशों के आधार पर पूरे राज्य में निम्न श्रेणी के उद्योग खोले जा सकते है :—

क. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योग

ख. Special Economic Zone (SEZ) और MPIDC / DIC के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाईयां

ग. Export Oriented Unit (EOU)

घ. उपर क, ख व ग के अतिरिक्त वे औद्योगिक इकाईयां जिनका पृथक उल्लेख उपरोक्त उल्लेखित पत्र में किया गया है यथा, दवाईयां, चिकित्सिकी उपकरण, अत्यावश्यक वस्तुओं का निर्माण करने वाली इकाईयां, कोल्ड स्टोरेज, आदि।

3. District Crisis Management Group यह निर्णय लेगा कि जिले की परिस्थिती विशेष को देखते हुए कौनसे उद्योग कितनी capacity पर चलाए जावेगे तथा जिले/शहर के किस क्षेत्र से उनकी manpower का आवागमन अनुमत होगा। ऐसे उद्योग, जो समस्त कार्यरत श्रमिकों को अपने परिसर में रहने की व्यवस्था करते हैं, को District Crisis Management Group से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नही होगी, बशर्ते ये नीचे कंडिका 4, 5 व 6 के अनुसार कार्य करे ।

4. उपर उल्लेखित कोई भी उद्योग घोषित Containment Zone में संचालित नही होना चाहिए। इसी प्रकार, किसी उद्योग में Containment Zone में निवासरत किसी श्रमिक को कार्य करना नही आना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि, वर्तमान स्थिति में, इंदौर शहर व भोपाल शहर Containment Zone में है। अतः इन शहरों से श्रमिकों को कार्य करने के लिये शहर से बाहर जाने की अनुमति नही होगी।

5. यह ध्यान रखा जाए कि High Risk (यथा COVID-19 मरीज से संपर्क में आया व्यक्ति), ILI (Influenza like illness) और SARI (Severe Acute Respiratory Illness) की श्रेणी का कोई श्रमिक किसी उद्योग में कार्य करने ना आए।

6. यह सुनिश्चित किया जाए कि उद्योगों के संचालन में भारत शासन के संदर्भित पत्र के एनेक्स–1 में दिए गए नेशनल डायरेक्टिव और एनेक्स–2 में दिए गए स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पूरा ध्यान रखा जाए।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पत्र क्रमांक 81/2020/सी–2 दिनांक 13.04.2020 के माध्यम से यह निर्देश दिए गए है कि एक जिले में आवागमन के लिये किसी पास की आवश्यकता नही है और संबंधित के पास पहचान पत्र आदि होना पर्याप्त है।

8. जो उद्योग व्यापक जनहित में चलाए जाने आवश्यक है तथा उन्हें इस परिपत्र की किसी शर्त से छूट की आवश्यकता है, तो ऐसी छूट राज्य शासन द्वारा दी जा सकेगी।

9. यह निर्देश राज्य में सूक्ष्म, लघु, मध्यम और वृहद सभी श्रेणी के उद्योगों पर लागू होंगे।

10. अतः कृपया लॉकडाउन अवधि के दौरान आपके संभाग/जिले में संचालित हो सकने वाले उद्योगों को समस्त संभव सहायता उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इससे न केवल आपके जिले में रोजगार उपलब्ध होगा अपितु देश व राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित होने में सहायता मिलेगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहनविभाग

पक्र..82/20-21

भोपाल, दिनांक 27-4/2020

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म0प्र0 शासन की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0 शासन की ओर सूचनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, समस्त, म0प्र0शासन की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, समस्त, म0प्र0शासन की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
6. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, मध्य प्रदेश।
7. आयुक्त, जनसंपर्क।
8. प्रबंध निदेशक, MPIDC को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
9. निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
10. नगर निगम आयुक्त, समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पचायत समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहनविभाग